उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/4566 / जबलपुर, दिनांक 06/06/2024

कुमारी शिल्पा नागदेवे, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/2081 जबलपुर, दिनांक 27.04.2023 में प्रदाय अनुमति को निरस्त करते हुये "महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, अलंकार पॉईट, गीताभवन चौराहा, इंदौर से डिप्लोमा इन शॉर्टहैण्ड (अंग्रेजी) 120 श.प्र.मि. से एक वर्षीय पाठ्यक्रम वर्ष 2024–2025" में स्वाध्यायी छात्रा के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

3 यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्त्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत पाये गये तो वह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षो के लिये अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/4567 / जबलपुर, दिनांक 06/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167–ए(भाग)/1266 इंदौर, दिनांक 14.05.2024 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम–पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

3. एडमिनीस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कुमारी शिल्पा नागदेवे, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

03/06/24
(दीपक बंसल)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)